

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 428]

भोपाल, गुरुवार दिनांक 28 अक्टूबर 2021—कार्तिक 6, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-5-4-2020-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की स्थापना करती है, जिसे राज्य आयोग के रूप में जाना जायेगा.

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से ठीक पहले नियुक्त राज्य आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य उक्त अधिनियम की धारा 45 में दिये गये प्रावधान के अनुसार राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पद पर बने रहेंगे. यह आदेश राज्य में अधिनियम के लागू होने की दिनांक 20 जुलाई 2020 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-5-4-2020-उन्तीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-4-2020-उन्तीस-2, दिनांक 28 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 28th October 2021

No. F-5-4-2020-XXIX-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (l) of Section 42 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the State Government hereby establishes Madhya Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission to be known as the State Commission.

2. The President and every other member of the State Commission appointed immediately before the commencement of the Consumer Protection Act, 2019 shall continue to hold office as the President and member of the State Commission as provided in Section 45 of the said Act. This order will be effective from the date of commencement of the Act 20th July, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. K. CHANDEL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-5-4-2020-उन्तीस-2—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य के निर्मांकित जिलों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की स्थापना करती है, जिसे जिला आयोग के रूप में जाना जायेगा।

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से ठीक पहले नियुक्त जिला आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य उक्त अधिनियम की धारा 31 में दिये गये प्रावधान के अनुसार जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पद पर बने रहेंगे। यह आदेश राज्य में अधिनियम के लागू होने की दिनांक 20 जुलाई 2020 से प्रभावशील होगा।

1.	भोपाल	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल क्रमांक-1
2.	भोपाल	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल क्रमांक-2
3.	इन्दौर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इन्दौर क्रमांक-1
4.	इन्दौर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इन्दौर क्रमांक-2
5.	जबलपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जबलपुर क्रमांक-1
6.	जबलपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जबलपुर क्रमांक-2
7.	रीवा	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रीवा
8.	ग्वालियर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, ग्वालियर
9.	उज्जैन	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, उज्जैन
10.	सागर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, सागर
11.	होशंगाबाद	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, होशंगाबाद
12.	मुरैना	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मुरैना
13.	गुना	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, गुना
14.	धार	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, धार
15.	मंदसौर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मंदसौर
16.	सतना	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, सतना

17.	खण्डवा	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, खण्डवा
18.	दमोह	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, दमोह
19.	विदिशा	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, विदिशा
20.	शिवपुरी	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, शिवपुरी
21.	भिण्ड	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भिण्ड
22.	छिन्दवाड़ा	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, छिन्दवाड़ा
23.	रतलाम	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रतलाम
24.	कटनी	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, कटनी
25.	छतरपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, छतरपुर
26.	सीहोर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, सीहोर
27.	रायसेन	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायसेन
28.	देवास	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, देवास
29.	मण्डला	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मण्डला
30.	डिण्डौर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, डिण्डौर
31.	नरसिंहपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, नरसिंहपुर
32.	सीधी	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, सीधी
33.	शहडोल	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, शहडोल
34.	अनूपपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, अनूपपुर
35.	शाजापुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, शाजापुर
36.	बैतूल	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बैतूल
37.	राजगढ़	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, राजगढ़
38.	अशोकनगर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, अशोकनगर
39.	बड़वानी	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बड़वानी
40.	खरगोन (मण्डलेश्वर)	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, खरगोन (मण्डलेश्वर)
41.	नीमच	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, नीमच
42.	हरदा	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, हरदा
43.	बुरहानपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बुरहानपुर
44.	श्योपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, श्योपुर
45.	दतिया	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, दतिया
46.	सिवनी	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, सिवनी
47.	बालाघाट	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बालाघाट

48.	झाबुआ	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, झाबुआ
49.	पन्ना	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, पन्ना
50.	टीकमगढ़	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, टीकमगढ़
51.	उमरिया	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, उमरिया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-5-4-2020-उन्तीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-4-2020-उन्तीस-2, दिनांक 28 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 28th October 2021

No. F-5-4-2020-XXIX-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the State Government hereby establishes the District Consumer Disputes Redressal Commission in the following districts of the State to be known as the District Commission.

2. The President and every other member of the District Commission appointed immediately before the commencement of the Consumer Protection Act, 2019 shall continue to hold office as the President and member of the District Commission as provided in Section 31st of the said Act. This order will be effective from the date of commencement of the Act 20th July, 2020.

1.	Bhopal	District Consumer Disputes Redressal Commission, Bhopal, No. 1
2.	Bhopal	District Consumer Disputes Redressal Commission, Bhopal, No. 2
3.	Indore	District Consumer Disputes Redressal Commission, Indore, No. 1
4.	Indore	District Consumer Disputes Redressal Commission, Indore, No. 2
5.	Jabalpur	District Consumer Disputes Redressal Commission, Jabalpur, No. 1
6.	Jabalpur	District Consumer Disputes Redressal Commission, Jabalpur, No. 2
7.	Rewa	District Consumer Disputes Redressal Commission, Rewa
8.	Gwalior	District Consumer Disputes Redressal Commission, Gwalior
9.	Ujjain	District Consumer Disputes Redressal Commission, Ujjain
10.	Sagar	District Consumer Disputes Redressal Commission, Sagar
11.	Hoshangabad	District Consumer Disputes Redressal Commission, Hoshangabad
12.	Morena	District Consumer Disputes Redressal Commission, Morena
13.	Guna	District Consumer Disputes Redressal Commission, Guna
14.	Dhar	District Consumer Disputes Redressal Commission, Dhar
15.	Mandsaur	District Consumer Disputes Redressal Commission, Mandsaur
16.	Satna	District Consumer Disputes Redressal Commission, Satna
17.	Khandwa	District Consumer Disputes Redressal Commission, Khandwa

18.	Damoh	District Consumer Disputes Redressal Commission, Damoh
19.	Vidisha	District Consumer Disputes Redressal Commission, Vidisha
20.	Shivpuri	District Consumer Disputes Redressal Commission, Shivpuri
21.	Bhind	District Consumer Disputes Redressal Commission, Bhind
22.	Chhindwara	District Consumer Disputes Redressal Commission, Chhindwara
23.	Ratlam	District Consumer Disputes Redressal Commission, Ratlam
24.	Katni	District Consumer Disputes Redressal Commission, Katni
25.	Chhatarpur	District Consumer Disputes Redressal Commission, Chhatarpur
26.	Sehore	District Consumer Disputes Redressal Commission, Sehore
27.	Raisen	District Consumer Disputes Redressal Commission, Raisen
28.	Dewas	District Consumer Disputes Redressal Commission, Dewas
29.	Mandla	District Consumer Disputes Redressal Commission, Mandla
30.	Dindori	District Consumer Disputes Redressal Commission, Dindori
31.	Narsinghpur	District Consumer Disputes Redressal Commission, Narsinghpur
32.	Sidhi	District Consumer Disputes Redressal Commission, Sidhi
33.	Shahdol	District Consumer Disputes Redressal Commission, Shahdol
34.	Anuppur	District Consumer Disputes Redressal Commission, Anuppur
35.	Shajapur	District Consumer Disputes Redressal Commission, Shajapur
36.	Betul	District Consumer Disputes Redressal Commission, Betul
37.	Rajgarh	District Consumer Disputes Redressal Commission, Rajgarh
38.	Ashok Nagar	District Consumer Disputes Redressal Commission, Ashok Nagar
39.	Barwani	District Consumer Disputes Redressal Commission, Barwani
40.	Khargone	District Consumer Disputes Redressal Commission, Khargone
41.	Neemuch	District Consumer Disputes Redressal Commission, Neemuch
42.	Harda	District Consumer Disputes Redressal Commission, Harda
43.	Burhanpur	District Consumer Disputes Redressal Commission, Burhanpur
44.	Sheopur	District Consumer Disputes Redressal Commission, Sheopur
45.	Datia	District Consumer Disputes Redressal Commission, Datia
46.	Seoni	District Consumer Disputes Redressal Commission, Seoni
47.	Balaghat	District Consumer Disputes Redressal Commission, Balaghat
48.	Jhabua	District Consumer Disputes Redressal Commission, Jhabua
49.	Panna	District Consumer Disputes Redressal Commission, Panna
50.	Tikamgarh	District Consumer Disputes Redressal Commission, Tikamgarh
51.	Umariya	District Consumer Disputes Redressal Commission, Umariya.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. K. CHANDEL, Dy. Secy.